


| तारीख<br>हुक्म  | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील<br>में जारी हुए |
|-----------------|---|--|
| 2 $\frac{3}{2}$ | <p>परिवादी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 05 श्री भजनलाल विश्नोई उपस्थित। यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 की फर्म/प्रतिष्ठान पर निरीक्षण दिनांक 19.02.2020 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनु सरस को मिलावट/अवमानक स्तर का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 ग्राम के चार डिब्बे वास्ते नमूना संख्या पी-1142 खरीद कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्राप्त किया एवं प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनु सरस का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड धेनु सरस की पैकिंग एवं लेबलिंग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकिंग एवं लेबलिंग) रेग्युलेशन 2011 के अनुच्छेद 2.2.2(6) व 2.2.2(8) का उल्लंघन होना मानते हुए नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा इसके विरुद्ध कोई जवाब प्रतिरक्षण पेश नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।</p> <p>अप्रार्थी सं. 01 से 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 05 स्वयं उपस्थित होकर परिवाद का जवाब प्रस्तुत किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसका यह प्रथम अपराध है तथा अप्रार्थी सं. 5 द्वारा रेग्युलेशन की पालना में भविष्य में लेबल पर समस्त आवश्यक सूचनायें अंकित की जावेगी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह जुर्म स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध सहानुभूति रखते हुए कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावे।</p> <p>प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों एवं निर्धारित रेग्युलेशन का उल्लंघन मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है, किन्तु अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए त्रुटि सुधार करना एवं भविष्य में इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का वचन दिया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध इस प्रथम अपराध प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कारित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत रुपये 5000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> |  |



  
 न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
 अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर